

06/08/2021

GCMG

2014/01334

पत्रावली पैरा 4 में। प्राची व वकील प्राची अनु०।
बार-बार आवाज दिलवारी जाने पर भी प्राची की
ओर से कोई उप०। अतः प्राची का प्राची पत्र
अदमदाजरी, अदमपैरकी में रवारिज किया जाता है।
पत्रावली केसलशुभार होकर नम्बर से कम होकर
दफतर दारिवल है।

(12)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)